

क्या आप निर्यातक बनने के इच्छुक हैं?

क्या आप किसी भी प्रकार के उत्पाद के निर्माण या विक्रय प्रक्रिया से जुड़े हैं और अपने उत्पाद को अंतराष्ट्रीय बाजार में बेचने की इच्छा रखते हैं तो आज ही "मिशन निर्यातक बनो" का हिस्सा बनें।



मिशन निर्यातक बनो

राज्य में निर्यात प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार की अनूठी पहल



योजना से जुड़ने के लाभ

लाइसेंस लेने से प्रथम कन्साइनमेंट निर्यात करने तक पूर्ण सहयोग



बिना किसी परेशानी के एक सरल प्रक्रिया द्वारा निर्यात हेतु लाइसेंस



निर्यात प्रक्रिया को समझने हेतु विशेषज्ञों द्वारा सलाह एवं प्रशिक्षण



विदेश में निर्यात हेतु मार्केट सर्च एवं संभाग स्तर पर पूर्ण जानकारी



निर्यात उपलब्धि के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार एवं प्रोत्साहन

निर्यातक बनें

प्रदेश को गौरवान्वित करें



यदि आप दिए गए समूह में से एक हैं तो योजना का हिस्सा बन निर्यात लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं

किसी भी प्रकार के उत्पाद के निर्माता

(स्वामित्व/ साझेदारी / कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली फर्म एवं MSME)

किसी भी प्रकार के उत्पाद के खुदरा व्यापारी

(स्वामित्व/ साझेदारी / कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली फर्म एवं MSME)

राजस्थान में काम करने वाले स्वयं सहायता समूह

स्टार्टअप्स

— निर्यात लाइसेंस (IEC) हेतु डिजिटल प्रारूप (जीआईएफ/जेपीजी) में अपेक्षित दस्तावेज —

प्रोपराइटरशिप फर्मों के लिए आवश्यक दस्तावेज

- सक्रिय ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और प्रोपराइटर के पैन कार्ड की प्रति
- पासपोर्ट की प्रति (प्रथम और अंतिम पृष्ठ)/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/यूआईडी (आधार कार्ड) (इनमें से कोई एक)
- नये आवेदन के लिए शुल्क 500 रुपये एवं संशोधन/अद्यतन के लिए शुल्क 200 रुपये
- सेल डीड यदि व्यावसायिक परिसर स्व-स्वामित्व वाला है; या रेंटल/लीज एग्रीमेंट, यदि कार्यालय किराए पर/पट्टे पर है; या नवीनतम बिजली/टेलीफोन बिल
- एनएफ 2ए के अनुसार बैंक प्रमाणपत्र अथवा आवेदक का पूर्व मुद्रित नाम वाला रद्द चेक और खाता संख्या
- डिजिटल हस्ताक्षर एवं ई-प्रमाणपत्र के माध्यम से हस्ताक्षर। (आधार लिंकड मोबाइल नंबर)

साझेदारी फर्म / कंपनी के लिए आवश्यक दस्तावेज

- सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर।
- आवेदक संस्था के पैन कार्ड की प्रति।
- पासपोर्ट की प्रति (प्रथम और अंतिम पृष्ठ)/मतदाता पहचान पत्र/यूआईडी (आधार कार्ड)/ड्राइविंग लाइसेंस/प्रबंधक का पैन (इनमें से कोई एक)
- आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले का नाम।
- नये आवेदन के लिए शुल्क 500 रुपये एवं संशोधन/अद्यतन के लिए शुल्क 200 रुपये
- पार्टनरशिप डीड की कॉपी/कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- सेल्स डीड यदि व्यावसायिक परिसर स्व-स्वामित्व वाला है; या रेंटल/लीजकॉन्ट्रैक्ट, यदि कार्यालय किराए/पट्टे पर है; या नवीनतम बिजली / टेलीफोन बिल।
- एनएफ 2ए के अनुसार बैंक प्रमाणपत्र अथवा आवेदक इकाई का पूर्व मुद्रित नाम वाला रद्द चेक और खाता संख्या।
- डिजिटल हस्ताक्षर एवं ई-प्रमाणपत्र के माध्यम से हस्ताक्षर। (आधार लिंकड मोबाइल नंबर)

यदि आप निर्यातक बनने के इच्छुक हैं तो दिए गए QR कोड को स्कैन करें एवं अपना अभिव्यक्ति फॉर्म भरें:



अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:
जिला उद्योग केन्द्र या रीको इकाई कार्यालय

कार्यालय आयुक्त उद्योग

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर - 302 005
फोन: 0141-2227727/29 | ई-मेल: indraj@rajasthan.gov.in
वेबसाइट: www.industries.rajasthan.gov.in
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र



राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड
इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर - 302 005
फोन: 0141-2227751, 4593201 | ई-मेल: riico@riico.co.in
वेबसाइट: www.riico.co.in | हमें फॉलो करें: